



# भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

## पार्लर निर्माण कार्य हेतु द्वितीय अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा पार्लर निर्माण कार्य हेतु द्वितीय अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) निविदाकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट [www.sanchidairy.com](http://www.sanchidairy.com) से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते हैं। निविदा का कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तीथि एवं समय	दिनांक 05.10.2023 को <a href="http://www.mptenders.gov.in">www.mptenders.gov.in</a> से रु.1000/- के क्रय मूल्य पर समय 12:00 बजे से
2.	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 11.10.2023 समय 12:00 बजे तक
3.	ई-निविदा ऑनलाइन के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 12.10.2023 एवं समय 12:00 बजे से, ऑनलाइन, भोपाल दुग्ध संघ
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रु.100000/- (राशि रु. एक लाख मात्र) ऑनलाइन जमा करें एवं रसीद संलग्न करें।

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी निविदाकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से निविदा प्रपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा, फिर निविदा प्रपत्र में प्रदर्श सामग्रीयों के मुद्रण तथा निर्माण कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप ई-निविदा प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर निविदा प्रपत्र रु. 1000/- के मूल्य पर ऑनलाइन क्रय कर उक्त की रसीद, ऑनलाइन जमा की गई ईएमडी राशि सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन अपलोड कर जमा करें। प्राप्त निविदा प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् निविदा की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

किसी भी निविदा को सकारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

निविदाकर्ता की अनुबंध अवधि एक वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि अधिकतम छः माह हेतु अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट [www.sanchidairy.com](http://www.sanchidairy.com) पर एवं [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

मूल्य रु. 1000/-

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

पार्लर निर्माण कार्य हेतु  
ई-निविदा प्रपत्र  
वर्ष 2023–2024



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com



भोपाल डेंटी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

## पार्लर निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र

1 निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 05.10.2023 को <a href="http://www.mptenders.gov.in">www.mptenders.gov.in</a> से समय 12:00 बजे से
2 ई-निविदा ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 11.10.2023 समय 12:00 बजे तक
3 तकनीकी अर्हता परीक्षण दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 12.10.2023 एवं समय 12:00 बजे से, ऑनलाईन, भोपाल दुग्ध संघ के बोर्ड मीटिंग हॉल में
4 निविदा के साथ जमा की जाने वाली बयाना (ई.एम.डी.) राशि	रु. 1,00,000/- (एक लाख मात्र) ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट के माध्यम से
5 “आवश्यक अर्हताएँ” का प्रारूप	प्रपत्र 01
6 नियम एवं शर्तें	प्रपत्र 02
7 .“भाव पत्र/दरे” प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र 03
8 प्रचार-प्रसार हेतु निविदा प्रपत्र	प्रपत्र 04

### निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- निविदाकर्ता को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकर्ता, निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गए समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी केवल ऑनलाईन के द्वारा ही स्केन कर अपलोड करें। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे तथा ऐसी निविदा अमान्य होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की दशा में पात्र निविदाकर्ता को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय में एक माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में दस्तावेज विलंब से जमा करने की दशा में दुग्ध संघ का निण्य सर्वोपरी होगा।



# भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेंटी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

परिशिष्ठ क्र.1

## आवश्यक अर्हताएं

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.  
भोपाल।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा पार्लर निर्माण कार्य हेतु दिनांक..... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताएं	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	निविदाकर्ता का नाम (फर्म / कम्पनी / पार्टनरशिप / एकल स्वामित्व)		निविदाकर्ता का नाम (फर्म / कम्पनी / पार्टनरशिप / एकल स्वामित्व) अंकित करें।
1.1	एकल स्वामित्व / भागीदारी / कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व / कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुख्तारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी / प्रोपाइटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
1.2	निविदाकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.3	निविदाकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 02 एवं 04 संलग्न करें।		निविदाकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 02 एवं 04 संलग्न करें।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1.4	निविदाकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को किसी भी शासकीय / अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो तथा पुलिस थाने / मा.न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित हो।		तदाशय का शपथ पत्र रु 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। निविदा के प्रपत्र 05 में प्रारूप संलग्न है।
1.5	निविदाकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को शासकीय / सहकारी / अशासकीय संस्था में फेब्रिकेशन कार्य में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।		तदाशय का शासकीय / सहकारी / अशासकीय संस्था द्वारा जारी 05 वर्षों के कार्य आदेशों की छायाप्रतियां प्रतियां एवं उक्त की प्रमाणिकता सिद्ध करने हेतु रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र.06 पर संलग्न है।
1.6	निविदाकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई.एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रु.100000/- (एक लाख रुपये) की रसीद संलग्न करें।
1.7	निविदाकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) का वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का टर्न ओवर संलग्न करना अनिवार्य है।		तदाशय के वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रु.5000000/- (पचास लाख) या अधिक के टर्न ओवर की अंकेक्षित बैलेंस शीट की छायाप्रति संलग्न करें। इस प्रकार निविदाकर्ता के पास कुल रु. 25000000/- (दो करोड़ पचास लाख) का टर्न ओवर होना अनिवार्य है।
1.8	निविदाकर्ता को (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) का जीएसटी नंबर होना चाहिए।		तदाशय के जीएसटी नं. की प्रति संलग्न करें।
1.9	म.प्र. राज्य में स्थित उद्यमि एम. एस.एम.ई का सर्टिफिकेट संलग्न करें।		तदाशय के एम.एस.एम.ई के सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करें।

- नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की निविदाकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को स्वप्रमाणित प्रतियाँ ऑनलाईन रूप से स्कैन कर संलग्न करना अनिवार्य है।  
(2) उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसी निविदाए अमान्य घोषित होंगी।

हस्ताक्षर— .....

नाम— .....

पता— .....

मो.नं.—: .....

## पार्लर निर्माण कार्य हेतु निविदा की आवश्यक नियम एवं शर्तें :-

1. निविदा स्वीकृती की स्थिति में सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ के साथ रु.1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र.07 में संलग्न है। जिसे केवल पात्र निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अतः प्रतिभागी निविदाकर्ता अनुबंध प्रपत्र के प्रारूप को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं करें।
2. सफल निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृती उपरांत बतौर सुरक्षा निधि रु.5,000,00/- (रु. पाँच लाख मात्र) जिसमें 60% राशि नगद जो कि पेयबल एट भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम से देय होगा डीडी के माध्यम से एवं 40% राशि की संयुक्त एफडीआर जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृती उपरांत ईएमडी राशि, प्रतिभूति राशि में समायोजित होगी। तदउपरांत ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। दुग्ध संघ में नगद जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
3. सफल निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक माह में ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेजों की मूलप्रति, प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करना होगा।
4. मध्य प्रदेश राज्य के MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी। परंतु MSME उद्यमियों को ऑनलाईन MSME के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के निविदा अमान्य किया जाएगा।
5. निविदकर्ताओं के निविदा की तकनीकी अर्हताएं ई-निविदा के नियमों के अनुसार सफल पाए जाने के पश्चात् सफल निविदाकर्ताओं की वित्तीय बिड खोली जाएगी।
6. सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात् किसी भी कारणवश कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में निविदाकर्ता की ई.एम.डी राशि राजसात् कर निविदा निरस्त कर दिया जाएगा।
7. प्रतिभागी निविदाकर्ता को दरें केवल और केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। भौतिक रूप से प्राप्त दरें अमान्य होंगी।
8. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के पास निहित होगा।
9. निविदा स्वीकृति के उपरांत सफल निविदाकर्ता की अनुबंध अवधि एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा सफल निविदाकर्ता का कार्य एक वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तें एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि अधिकतम छः माह हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जावेगी।
10. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
11. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा की तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी।

12. निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभागी निविदाकर्ता द्वारा दी गयी जानकारी यदि किसी भी समय असत्य प्रमाणित होती है तो ई.एम.डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
13. निविदाकर्ता यह विशेष रूप से ध्यान रखे कि यह निविदा पूर्ण रूप से ई-निविदा है। अतः निविदाकर्ता, निविदा के नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़े एवं समझे एवं इसके उपरांत ही समस्त वांछित दस्तावेजों को स्वप्रमाणित करने के उपरांत स्कैन कर ऑनलाइन ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेजों में काट-छाट एवं ओवरराइटिंग न करें। निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगी। भौतिक रूप से प्राप्त निविदाएं अमान्य घोषित होंगी।
14. पात्र निविदाकर्ता को निविदा की औपचारितकताएं एक माह की अवधि में पूर्ण करना होगा। यदि कतिपय कारणों से सफल निविदाकर्ता द्वारा औपचारितकताएं पूरी करने में विलंब किया जाता है तो प्रकरण में दुग्ध संघ का निर्णय अंतिम होगा।
15. अनुबंध अवधि में निविदा की स्वीकृत दरों पर ही भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई दरों पर भुगतान देय नहीं होगा।
16. प्रतिभागी निविदाकर्ता दरें बाजार में प्रचलित वाजिब मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए अपने समस्त व्ययों एवं कर को समाहित करते ऑन लाइन प्रस्तुत करें। ऑन लाइन दरें खोले जाने की उपरांत दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा।
17. निविदा खोले जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में निविदाकर्ताओं के अन्य कारण स्वीकार नहीं होंगें।
18. निविदा कार्यवाही के दौरान पहले निविदा की तकनिकी अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं तकनिकी अर्हताएं परीक्षणोंपरांत सफल पाए जाने की स्थिति में ही वित्तीय बिड खोले जाने की कार्यवाही की जाएगी।
19. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर स्पष्ट एवं बाजार दर से परे होना चाहिए।
20. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में, समस्त कर एवं निर्माण की सामग्री तथा परिश्रमिक व्यय सहित रहेगा।
- 21.1 दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पार्लरों का निर्माण, कार्य आदेश जारी होने के 30 दिवस में पूर्ण करना होगा। पार्लर निर्माण कार्य में विलंब किए जाने पर निम्नानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।

क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि
1.	15 दिवस तक	लागत का 1 प्रतिशत
2.	16 से 30 दिवस के मध्य	लागत का 2 प्रतिशत
3.	30 दिवस के पश्चात्	लागत का 5 प्रतिशत

21. पार्लर निर्माण कार्य में लगने समस्त सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।
22. सफल निविदाकर्ता को देयकों का भुगतान समय—समय पर किए गए कार्यों के सत्यापन होने के पश्चात् किया जाएगा।
23. कार्य में उपयोग की गई सामग्रीयां प्रतिष्ठित कंपनीयों के ISI मानक स्तर के ही होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो सफल निविदाकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह पुनः पार्लर का निर्माण करे अन्यथा दुग्ध संघ प्रबंधन का निर्णय सर्वोपरी होगा।
24. सफल निविदाकर्ता को अनुबंध अवधि में दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा प्रदत्त निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते पाए जाते हैं तो दुग्ध संघ प्रबंधन का निर्णय सर्वोपरी होगा। जो कि सफल निविदाकर्ता पर बंधनकारी होगा।


25. पार्लर निर्माण कार्य हेतु दर का प्रारूप प्रपत्र क्र. 03 पर संलग्न है जिसे प्रतिभागी निविदाकर्ता को केवल ऑन लाइन प्रस्तुत करना होगा।
26. पार्लर निर्माण कार्य दुग्ध संघ द्वारा स्पष्ट किए गए मापदंडों एवं गुणवत्ता के अनुसार होना चाहिए। समस्त कार्य दुग्ध संघ के संबंधित अधिकारी के मार्गदर्शन एवं देखरेख में किया जाना होगा।
27. सफल निविदाकर्ता को पार्लर का निर्माण का कार्य अन्य शहरों में दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार गंतव्य स्थल तक पहुंचकर करना होगा। इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा पृथक से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। कार्य गुणवत्ताहिन होने पर सफल निविदाकर्ता को पुनः निर्धारित मापदंड अनुसार करना होगा अन्यथा ऐसा नहीं करते पाए जाने पर जो भी हानि होगी उसका कटौत्रा सफल निविदाकर्ता के देयकों से किया जाएगा।
28. निविदा प्रकाशित होने के पश्चात् यदि किसी भी प्रतिभागी निविदाकर्ता को निविदा संबंधि कोई आपत्ति होती है तो ऐसे प्रतिभागी निविदाकर्ता निविदा सूचना प्रकाशन से 15 दिवस में अपनी आपत्तियों को दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा की तकनीकी अर्हताएं खुलने एवं वित्तीय बिड खुलने के पश्चात् किसी भी प्रतिभागी निविदाकर्ता की कोई भी आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिसे प्रतिभागी निविदाकर्ता को मान्य करना होगा।
29. किसी भी विवाद हेतु कार्यक्षेत्र भोपाल रहेगा एवं विवाद सहकारी न्यायालय में निपटाए जाएंगे।
30. ई-निविदा दर खोले जाने के पश्चात् निविदाकर्ता को ई-निविदा/दर भरने में हुई गलती के कारण निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।
31. अनुबंध अवधि में सफल निविदाकर्ता को अपनी निविदा किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा एवं उपठेकेदार नियुक्त करेगा। अन्यथा ऐसा करते पाए जाने पर सफल निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा एवं उसकी दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।
32. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठों पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाना होगा।
33. एक व्यक्ति/फर्म द्वारा एक से अधिक अलग-अलग नामों से प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी।
34. सफल निविदाकर्ता को अनुबंध अवधि में प्रोपेराइटर बदलने का अधिकार नहीं होगा। यदि सफल निविदाकर्ता अपरिहार्य कारणों से प्रोपेराइटर बदलना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ प्रबंधन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा ऐसा करते नहीं पाए जाने पर बिना कोई पूर्व सूचना के उसकी दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी एवं उसे ब्लैकलिस्ट कर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्य कराए जाने हेतु दुग्ध संघ पूर्णरूप से सवतंत्र होगा।
35. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अवहेलना की जाने पर ठेकेदार की सुरक्षा राशि राजसात की जावेगी एवं उसे ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा।

## Technical Specification of Smart Milk Parlour construction

<b>Material Specification for Designing of Milk Parlor</b>				
S.No.	Particular	SIZE/GAUGE	QTY	UNIT
1.	M.S. Sheet to cover the frame from all sides including moduling of sheets for prepration of selected design for front elevation	18	437.95	kg
2.	Use of steel pipe section for frame	40x40 mm	18.24	Kg
3.	Use of steel pipe section for frame	25x25 mm	14.64	Kg
4.	Angle section used for main frame	50/5	111.264	Kg
5.	Angle used for middle frames	30/3	36.136	Kg
6.	Angle setion used for door frames	30/3	23.16	Kg
7.	Profile sheet for roof	50 no	9.24	Sqm
8.	Primer	-	4	Lt
9.	Paint of selected colour	-	10	Lt
10.	Putty to fill the gaps and for finishing work	-	2	Kg
11.	Thener for paint work	-	4	Lt
12.	ACP Sheet	5 mm	15.23	Sqm
13.	Rolling shutter	1.25 mm	3.17	Sqm
14.	Labour charges for paint	-	1	Lot
	Elecrtric work			
15	Providing and fixing of fan	-	1	No.
16	Providing and fixing of lights	-	2	No.
17	Providing and fixing of swithch board and wires and labour charges	-	2	No.
18	Providing and fixing of sanchi mono of selected design with light	-	1	Lot
19	Providing and fixing of vnyl mono	-	1	No.
20	Additional work	-	2	No.
21	Making of one box storage of crate with angle sction 30/3 and MS Sheet	-		


## Milk Parlour Drawing

MILK PARLOUR SIDE VIEW




SIDE VIEW

STRUCTURE DRAWING




### MILK PARLOUR FRONT VIEW



FRONT VIEW

### MILK PARLOUR AT SANCHI DURGAH SANGH



1. स्मार्ट पार्लर का निर्माण कार्य दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित आर्टवर्क के आधार पर करना होगा। पार्लर निर्माण हेतु आर्टवर्क एवं तकनिकी स्पेसिफिकेशन निविदा प्रपत्र में दर्शाया गया है। जिसके अनुरूप ठेकेदार को कार्य संपादित करना होगा।
2. कार्य में उपयोग होने वाली समस्त सामग्री जैसे एम.एस शीट, एसीपी शीट, जीआई शीट तथा अन्य सामग्री आदि आईएसआई ब्रांड का होकर उच्च गुणवत्तायुक्त ब्रांडेड कंपनी का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
3. पार्लर के अंदर और बाहर प्राइमर और पेंटिंग वर्क में आईल पेंट/एनोमल आईल पेंट उपयोग करना होगा।
4. पार्लर में उपयोग की गई सामग्रीयों की गुणवत्ता एक वर्ष तक खराब नहीं होना चाहिए, यदि खराब होती है तो निशुल्क पुनः निर्माण करवाया जाएगा, अन्यथा धरोहर राशि से उक्त कार्य करवाया जावेगा।
5. पार्लर का निर्माण कार्य दुग्ध संघ द्वारा दिए गए आर्टवर्क अनुसार ही सुनिश्चित करना होगा, आर्टवर्क का सुस्पष्ट होना आवश्यक है। आर्टवर्क अथवा उसके प्रारूप में कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
6. पार्लर निर्माण हेतु नियोजित किए जाने वाले कर्मियों को भोपाल शहर अथवा शहर के बाहर वेतन भत्ते या अन्य किसी भी दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी सफल निविदाकर्ता की होगी। कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना की क्षतिपूर्ति हेतु दुग्ध संघ उत्तरदायी नहीं रहेगा।
7. कार्य की गुणवत्ता अथवा सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से कमी पाए जाने पर दुग्ध संघ के द्वारा अनुपातिक रूप से देयक राशि से कटौत्रा किया जाएगा।
8. भोपाल शहर के बाहर अन्य जिला मुख्यालयों एवं इसके अधीन क्षेत्रों में निर्माण किए गए पार्लर को संबंधित दुग्ध संयंत्र के प्रबंधक से सत्यापित करवाने के पश्चात् किए गए कार्यों का भुगतान किया जाएगा।
9. पार्लर का निर्माण कार्य प्रबंध की आवश्यकता के आधार पर आदेशानुसार संपादित करना होगा।
10. दुग्ध संघ द्वारा बताए गए अनुमोदित आर्टवर्क के अलावा ठेकेदार के द्वारा बताए गए पार्लर निर्माण कार्य का भुगतान प्रबंधन द्वारा नहीं किया जाएगा।
11. ठेकेदार को देयक के साथ किए गए कार्यों का एलबम तैयार कर प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसमें किए गए कार्यों की फोटो एवं प्रत्येक फोटों के नीचे कार्य का विवरण अंकित रहेगा। तदउपरांत ही देयकों का भुगतान किया जाएगा।

मेरे/हमारे द्वारा पार्लर निर्माण कार्य की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/है। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं/हम आवेदन की नियम व शर्तें एवं तकनिकी विवरण तथा अन्य वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ तो ऐसी स्थिति में दुग्ध द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध लिया गया निणर्य सर्वोपरी होगा एवं मुझे/हमें मान्य होगा।

हस्ताक्षर  
निविदाकर्ता का नाम एवं पता  
(फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व)



# भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.03

वित्तीय बिड (केवल ऑनलाइन ही भरें) प्रारूप केवल देखने हेतु

S.No.	Description	Size	Proposed Rate Per Parlor Amount in Rs	Proposed Rate Per Parlor Words in Rs
1.	Smart Parlor	8'x8'		

नोट:- निविदाकार को केवल ऑनलाइन दरें ही प्रस्तुत करनी होगी। निविदाकर्ता ऑनलाइन दरें स्पष्ट रूप से भरें। अंकों एवं शब्दों में किसी भी प्रकार से कोई भिन्नता न हो। यदि अंकों में भिन्नता होगी तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरों को मान्य किया जाएगा।



## भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र.04

### स्मार्ट पार्लर निर्माण कार्य हेतु निविदा का परिचय प्रपत्र :-

1. निविदाकर्ता का नाम .....  
(फर्म/ कम्पनी/ पार्टनशिप फर्म/ एकल स्वामित्व)  
.....  
.....
2. पिता/ पति का नाम .....  
.....
3. स्थाई/ वर्तमान पता .....  
.....  
.....
4. दूरभाष/ मोबाइल नं. ....
5. ई-मेल एड्रेस ..... (अनिवार्य रूप से अंकित करें)
6. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें) .....  
.....
7. (अ) पेन नम्बर .....  
(ब) GST NO.....  
(स) आधार कार्ड नम्बर.....
8. ऑनलाईन द्वारा भरी गई ई.एम.डी. का रसीद नंबर .....

स्वयं का  
स्वहस्ताक्षरित  
पासपोर्ट  
साईज फोटो  
लगावें।

मेरे/ हमारे द्वारा सांची स्मार्ट पार्लर निर्माण कार्य हेतु कार्य निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ और समझ चुका/ चुकी हूं और मान्य करता/ करती हूं। इस हेतु मेरे/ हमारे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की हैं। निविदा प्रपत्र में मेरे/ हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम



# भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र."5"

## शपथ पत्र का प्रारूप (केवल देखने के लिए) (केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम ..... आत्मज ..... आयु ..... निवासी यह  
कि मेरे/हमारे द्वारा सांची स्मार्ट पार्लर निमार्ण कार्य हेतु दिनांक ..... को समाचार पत्रों में  
प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में तदाशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि मेरे/हमारे  
द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से  
अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक किसी भी पुलिस थाने/मान्यायालय किसी भी  
प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नहीं है।

नाम— .....

हस्ताक्षर —

1. गवाह

नाम:—.....

पता:— .....

आधारकार्ड नं. ....

मोबाइल नं.....

2. गवाह

नाम:—.....

पता:— .....

आधारकार्ड नं. ....

मोबाइल नं.....

इति दिनांक ..... भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....

### सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01,  
02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया  
नहीं गया है।

इति दिनांक ..... भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता .....



# भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

BHOPAL SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT.

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

GSTIN - 23AAAAB0221D1ZW



शुद्धता का संकल्प

भोपाल डेरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल - 462 024 म.प्र. (भारत)

BHOPAL DAIRY PLANT, HABIBGANJ, BHOPAL - 462 024 M.P. (INDIA) PBX (0755) 2478250, 51, 52, 53

FAX No. (0755) 2450896, E-mail: bsdsim@gmail.com, sanchi.bhopal@gmail.com

प्रपत्र क्र."6"

शपथ पत्र का प्रारूप (केवल देखने के लिए)  
(केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम..... आत्मज..... आयु..... निवासी..... यह कि  
मुझे/हमें फेब्रिकेशन कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव है। एवं मेरे/हमारे द्वारा तदाश्य के  
प्रमाणिकता हेतु कार्य आदेश के प्रतियां ई-निविदा में संलग्न की गई है। जो कि मेरे/हमारे ज्ञान  
के आधार पर पूर्णतया सही है। यदि अनुबंध अवधि में मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य  
आदेशों की कभी भी, किसी भी कारण से प्रति गलत पाई जाती है तो भोपाल सहकारी दुग्ध संघ  
प्रबंधन मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा एवं मै/हम  
इस हेतु अपनी सहमती देते हैं कि मुझे/हमें विरुद्ध भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा की गई  
कार्यवाही हेतु कोई भी आपत्ति नहीं होगी।

नाम— .....

हस्ताक्षर —

1. गवाह

नाम:— .....

पता:— .....

आधारकार्ड नं. ....

मोबाइल नं. ....

2. गवाह

नाम:— .....

पता:— .....

आधारकार्ड नं. ....

मोबाइल नं. ....

इति दिनांक ..... भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

## सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण  
कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक ..... भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता .....

## अनुबंध का प्रारूप (केवल देखने हेतु) स्मार्ट पार्लर निर्माण कार्य हेतु अनुबंध

यह अनुबंध दुग्ध संघ अपने व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुये आज दिनांक ..... को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिन्हे आगे प्रथम पक्ष एवं श्री/मैसर्स (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व) ..... जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व ठेकेदार कार्य संपादित करेंगे :—

द्वितीय पक्ष द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल के भोपाल शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्मार्ट पार्लर निर्माण कार्य के वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित मापदंडों पर ई-निविदा में निविदा प्रस्तुत की गई है एवं प्रथम पक्ष ने इसमें आगे लिखे गये अनुबंध एवं शर्तों पर द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत ई-निविदा की स्वीकृत दर पर स्वीकार किया है।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत द्वितीय पक्ष को 90 दिवस की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को 90 दिवस का लिखित अग्रिम नोटिस स्मार्ट पार्लर निर्माणकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. द्वितीय पक्ष को भोपाल शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पार्लर निर्माण कार्य के लिए ब्रांडेड कंपनी के उच्च गुणवत्ता युक्त आईएसआई मानक स्तर के समाग्रीयों का उपयोग कर कार्य पूरा करना होगा।
3. द्वितीय पक्ष को स्मार्ट पार्लर का निर्माण प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित डिजाइन एवं आकार के अनुसार करना होगा। स्मार्ट पार्लर के डिजाइन में द्वितीय पक्ष कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। स्मार्ट पार्लर के निर्माण हेतु वांछित मटेरियल का ही उपयोग किया जाएगा तथा फ्रेब्रिकेशन के उपरांत स्मार्ट पार्लर के ढांचे पर अंदर व बाहर निर्धारित बेसपेंट व दिए गए आर्टवर्क के अनुसार पेंटिंग कार्य किया जावेगा। जिसमें कोई बदलाव मान्य नहीं होगा।
4. द्वितीय पक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं के स्तर से निविदा की स्वीकृत दर पर स्मार्ट पार्लर का निर्माण करेंगे। दुग्ध संघ द्वारा पृथक से कर्मचारी संलग्न नहीं किया जाएगा व किसी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा।<sup>1</sup>
5. द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ द्वारा अनुबंध अवधि में समय-समय पर आवश्यकतानुसार पार्लर के निर्माण कार्य हेतु लिखित आदेश प्रदत्त किए जाएंगे एवं द्वितीय पक्ष को दिए गए तय समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर निर्माण, कार्य आदेश जारी होने के 30 दिवस में पूर्ण करना होगा। कार्य में विलंब किए जाने पर निम्नानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।

क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि
1.	15 दिवस तक	लागत का 1 प्रतिशत
2.	16 से 30 दिवस के मध्य	लागत का 2 प्रतिशत
3.	30 दिवस के पश्चात्	लागत का 5 प्रतिशत

द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त अवधि के पश्चात् भी आपूर्ति नहीं की जाने की दशा में निविदा निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

7. द्वितीय पक्ष तथा उसके स्टॉफ प्रथम पक्ष के किभी भी अधिकारी एवं कर्मचारी से अभ्रदता एवं अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। अनुबंध अवधि में जांच के पश्चात् ऐसा करते पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
8. पार्लर निर्माण कार्यों में गुणवत्ता निर्धारित मानकों पर नहीं पाई जाती है तो द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह पुनः उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्रीयों का उपयोग कर कार्य को पुनः पूर्ण करें अन्यथा ऐसा करते नहीं पाए जाने पर जितनी हानि प्रथम पक्ष को होगी उसकी गणना कर द्वितीय पक्ष के देयकों से कटौत्रा कर लिया जाएगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
9. पार्लर निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय पक्ष किए गए कार्यों का एलबम तैयार कर दुग्ध संघ में जमा करना होगा एवं कार्य का वेरिफिकेशन दुग्ध संघ से कराने के पश्चात् द्वितीय पक्ष को देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो देयकों का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
10. द्वितीय पक्ष को देयकों का भुगतान प्रतिमाह के 05 तारीख तक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। विलंब से भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में जबावदेही द्वितीय पक्ष की होगी।
11. यह अनुबंध एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। इस अनुबंध की अवधि दिनांक ..... से ..... तक (कुल एक वर्ष) प्रभावशाली रहेंगी। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर निर्माण कार्य एक वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि अधिकतम 06 माह हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
12. अनुबंध अवधि में द्वितीय पक्ष को देयकों का भुगतान केवल निविदा की स्वीकृत दरों पर ही किया जाएगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
13. यह कि द्वितीय पक्ष हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो द्वितीय पक्ष को मान्य करनी होगी। पंचनामा कटौत्रा योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली द्वितीय पक्ष के देयक से करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
14. यह कि द्वितीय पक्ष या द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार/अनुशासनहीनता नहीं करेगा। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम पक्ष द्वारा संबंधित कर्मचारी को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाएगा, जिसका शत प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा अन्यथा की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए ब्लेक लिस्ट कर दिया जाएगा।
15. यह कि द्वितीय पक्ष के अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो द्वितीय पक्ष से रूपये 500/- (रूपये पांच सौ रूपये मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
16. देयकों का भुगतान माह में एक बार किया जावेगा, द्वितीय पक्ष को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक दुग्ध संघ में जमा कराना होगा जिसका भुगतान दुग्ध संघ द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर.टी.जी.एस. प्रणाली द्वारा किया जावेगा। देयकों के विलंब से प्रस्तुत करने पर कोई ब्याज आदि का भुगतान पृथक से नहीं किया जावेगा।
17. द्वितीय पक्ष को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा और न उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
18. डेरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की अधिक गति से नहीं चलाए जावे और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे। यदि ऐसा किया गया तो रूपये 500/- द्वितीय पक्ष पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके परिवहन देयक से काटा जावेगा।

19. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
20. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से अनुबंधित दुग्ध वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
21. यह की द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य में किसी अनियमितता की जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया रु 10000/- का अर्थदण्ड द्वितीय पक्ष को अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति करते पाए जाने पर तत्काल निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही की जाएगी।
22. द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा निविदा अनुसार प्रस्तुत किए गए वांछित दस्तावेज एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि अनुबंध अवधि में किसी भी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच की जावेगी, जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर पंचनामे व साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त किया जाकर, द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्टेड कर प्रथम पक्ष के कार्यालय में उसकी जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।
23. निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 “पार्लर निर्माण कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्त” में उल्लेखित नियम एवं शर्तें इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
24. यह कि द्वितीय पक्ष की निविदा अवधि में मृत्यु हो जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को अनुबंध की समान शर्तों पर निविदा हस्तांरित की जा सकेगी।
25. आवश्यकता प्रतिपादित होने की स्थिति में अनुबंध अवधि में प्रथम पक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन द्वितीय पक्ष को शात-प्रतिशत सुनिश्चित करना होगा। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
26. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश द्वितीय पक्ष को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिए जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।

मैं ..... पिता/पति/पत्नी ..... ठेकेदार ..... अपना  
उत्तराधिकारी (नामिनी) श्री/श्रीमति ..... को घोषित करता/ करती हूँ।

(द्वितीय पक्ष)

ठेकेदार के हस्ताक्षर .....  
नाम.....  
पता.....

(प्रथम पक्ष)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

1. गवाह के हस्ताक्षर .....  
नाम एवं पता:-.....  
.....  
2. गवाह के हस्ताक्षर .....  
नाम एवं पता:-.....

प्रभारी (विपणन)  
भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.